



दिनांक – 16.09.2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मे वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व थाना चिलकाना पुलिस द्वारा थाना चिलकाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 134/2023 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त **इरशाद उर्फ सादा पुत्र स्व0 वहीद निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलाकना सहारनपुर** को ग्राम दुमझेडा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अभियुक्त इरशाद उर्फ सादा पुत्र स्व0 वहीद निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।

#### आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1. मु0अ0सं0- 148/2004 धारा- 376/511/506 भादवि चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 328/2020 धारा- 60 आबकारी अधिनियम चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0- 263/2021 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0- 64/2023 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0- 134/2023 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 जितेन्द्र राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अशोक शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 1034 रविन्द्र कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. का0 2071 मनोज कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।



दिनांक – 16.09.2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 300 ग्राम चरस बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों/अवैध मदिरा तस्करों के विरुद्ध चैकिंग हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में, पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी सर्किल बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व तलाश वांछित व्यक्ति के दौरान 01 अभियुक्त **उस्मान उर्फ सुम्मी पुत्र यामीन नि0- ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को चैकिंग के दौरान मिर्जापुर –विकासनगर रोड से कासमपुर जाने वाले रास्ते से हिरासत पुलिस में लेकर तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से 300 ग्राम चरस बरामद हुआ। अभियुक्त उस्मान उर्फ सुम्मी उपरोक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के समबन्ध में अभियुक्त उस्मान उर्फ सुम्मी के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0 140/23 धारा 8/20 एनडीपीसीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उस्मान उपरोक्त ने बताया कि मैं मजदूरी करता हूँ, पैसे की कमी है, इसलिए मैं पैसे कमाने के लालच में मैं उत्तराखण्ड से सस्ते दामों में चरस खरीदता हूँ और अधिक दामों पर बेच देता हूँ। आज मैं अपने यहाँ चरस बेचने जा रहा था कि रास्ते में पुलिस ने मुझे पकड़ लिये। मैं बेचने वाले का नाम पता नहीं जानता।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

उस्मान उर्फ सुम्मी पुत्र यामीन नि0- ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

#### बरामदगी का विवरण:-

300 ग्राम चरस

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. प्र0नि0 राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 असगर अली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. हेका0 424 संजय धामा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. का0 2562 रिकू माहौर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. का0 2062 अफसर अली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक – 16.09.2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा पेड चोरी व नकबजनी की घटना का मात्र 24 घण्टे में सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की युकेलिप्टिस की लकड़ी व सफेद धातु की पाजेब व 1000/- रुपये नकद बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 15.09.23 को थाना हाजा पर मांगेराम पुत्र मामराज निवासी ग्राम हसनपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व राहुल कुमार पुत्र शिव कुमार नि० ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर पर उपस्थित थाना आकर प्रा० पत्र बाबत दिनांक 14/15.09.23 की रात्रि को अज्ञात चोरो द्वारा मांगेराम के आठ पेड युकेलिप्टिस व उसके पड़ोसी मौ० इरशाद के चार पेड युके लिप्टिस के चोरी व राहुल कुमार उपरोक्त के घर में अंदर घुसकर अलमारी का लोक तोड़कर उसके अन्दर से कलाई पर बांधने की दो घड़ी व सन्दुक का ताला तोड़कर उसके अन्दर से 32 हजार रुपये नकद, दो सोने के कुन्डल व चांदी की बनी दो पाजेब के चोरी होने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया। दाखिला प्रा० पत्र के आधार पर दिनांक 15.09.23 को मांगेराम उपरोक्त की तहरीर पर मु०अ०स० 138/23 धारा 379 भादवि व राहुल कुमार की तहरीर के आधार पर मु०अ०स० 139/23 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त चोरी व नकबजनी की घटनाओं की तत्काल संज्ञान लेते हुए घटनाओं के सफल अनावरण करने हेतु निर्देश दिया गया थे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी महोदय सर्किल बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अन्दर 24 घण्टे के घटना का सफल अनावरण करते हुए अभि० गण- 1.गालिब पुत्र मुंशी नि० ग्राम नांगल पट्टी मिलक थाना खिजराबाद उर्फ प्रतापनगर जिला यमुनानगर, 2. फरमान पुत्र इरफान नि० ग्राम रजापुर नौगांवा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को जसमौर रोड पानी की टंकी नौगावा के पास से मय मु०अ०स० 138/23 धारा 379/411 भादवि व मु०अ०स० 139/23 धारा 457/380/411 भादवि में चोरी हुई लकड़ी व सफेद धातु की पाजेब व 1000/- रुपये के साथ घटना में प्रयुक्त पिकअप रंग सफेद बिना नम्बर, जिसका चेसिस नम्बर MAT535348PYF28455 तथा इन्जन न० 5CR09FWXS78327 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभि० गण को बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि यह युकेलिप्टिस की लकड़ी हमने तथा हमारे साथी नसीम ने रजापुर नौगांवा के जंगल से दिनांक 14/15.09.23 की रात्रि में चोरी की थी। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गयी थी, इसलिए हम तीनों उस दिन इस लकड़ी को लेकर नहीं जा सके थे। इससे पहले दिनांक

14/15.09.23 की रात्री में ही हम तीनों ने ग्राम जाटोवाला में नदी के किनारे एक मकान में घुसकर ये चाँदी की पाजेब तथा रुपये चोरी किये थे। आज जो चाँदी की पाजेब व पांच पांच सौ रुपये हमसे बरामद हुए हैं, वह ग्राम जाटोवाला उर्फ फतेहउल्लापुर के मकान में अन्दर अलमारी को तोड़कर चोरी किये थे उसी के हैं। कान के कुंडल और शेष बचे हुए रुपये हमारा साथी नसीम लेकर चला गया था, जो आज हमारे साथ नहीं आया था। टाटा पिकअप गाड़ी भी नसीम की है। चोरी करने की नियत से इस गाड़ी का प्रयोग हम करते हैं। इसलिए इस पर आगे व पीछे इसका न0 नहीं लगवाया है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पते:-**

1. गालिब पुत्र मुंशी नि0 ग्राम नांगल पट्टी मिलक थाना खिजराबाद उर्फ प्रतापनगर जिला यमुनानगर
2. फरमान पुत्र इरफान नि0 ग्राम रजापुर नौगांवा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

#### **बरामदगी का विवरण:-**

अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0स0 138/23 धारा 379/411 भादवि में चोरी हुई यूकेलिप्टिस की लकड़ी व मु0अ0स0 139/23 धारा 457/380/411 भादवि में चोरी हुए सफेद धातु की पाजेब व 1000/- रुपये बरामद

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी-**

- 1) प्र0नि0 राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 2) उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 3) उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 4) उ0नि0 राममेहर सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 5) का0 2445 जयकिशन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 6) का0 2561 जयकिशन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 7) का0 2566 राकेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 16-09-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद ।

#### बरांमदगी:-

- चार जोड़े छोटी बड़ी पेरों की चुकटी सफेद धातु
- एक अंगूठी पीली धातु पुरुष
- 01 अंगूठी पीली धातु लेडिज
- 03 जोड़े चुकटी सफेद धातु
- 02 जोड़े पाजेब
- एक लाकिट
- एक चैन पतली सफेद धातु
- एक नोट 500 रुपये (पुराना)

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में चोरी की घटनाओं को रोकने व चोरी की वारदात करने वाले अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बिहारीगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.09.2023 को मु0अ0स0 85/2023 धारा 380/411 भादवि में वांछित अभियुक्तगण- 1. सद्दाम पुत्र रिजवान निवासी शेखू मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर, 2. सागर पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ताल्हापुर थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर व 3. विशाल उर्फ खटाई पुत्र सुक्कड सिंह निवासी अलीपुर थाना चरथावल मुजफ्फरनगर को सुन्दरपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 04 जोड़े छोटी बड़ी पेरों की चुकटी सफेद धातु, एक अंगूठी पीली धातु पुरुष, 01 अंगूठी पीली धातु लेडिज, 03 जोड़े चुकटी सफेद धातु, 02 जोड़े पाएजेब, एक लाकिट व एक चैन पतली सफेद धातु बरामद हुयी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण:-** अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग नशे के आदि हो गये हैं। नशे की लत लग गयी है। नशीले पदार्थ खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे की पूर्ति करने के लिए हम लोग गाँव में मकानों की रैकी करते हैं तथा जिस मकान को बन्द देख लेते हैं, उसी मकान में हम रात को घुसकर चोरी करते हैं। चोरी के सामान को बाजार में या किसी चलते फिरते आदमी को बेच देते हैं, जिससे हम अपना खर्चा चलाते हैं। पुलिस के पकड़े जाने के डर से जिस गाँव में एक बार चोरी करते हैं, उस गाँव में फिर काफी दिन तक नहीं जाते हैं। दिनांक 12.09.2023 को दिन ताल्हापुर गाँव में नवीन के घर की रैकी की थी और फिर रात्रि में हम तीनों ने मिलकर चोरी की थी। मकान मालिक नवीन

अपनी माँ का इलाज कराने के लिए ऋषिकेश गया था। घर पर कोई आदमी नहीं था। यह बात सागर ने हमें बतायी थी। और फिर हमने योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. सद्धाम पुत्र रिजवान निवासी शेखू मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. सागर पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ताल्हापुर थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
3. विशाल उर्फ खटाई पुत्र सुक्कड सिंह निवासी अलीपुर थाना चरथावल मुजफ्फरनगर

**अभियुक्त सद्धाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0स0 111/2019 धारा 379/411 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 253/2019 धारा 414 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 254/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 461/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0स0 003/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0स0 141/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0स0 152/2022 धारा 307 भादवि थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0स0 156/2022 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर
9. मु0अ0स0 157/2022 धारा 414 भादवि थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0स0 228/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0स0 85/2023 धारा 380/411 भादवि थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

**अभियुक्त सागर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0स0 250/2017 धारा 341, 342, 363, 366, 504, 506 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 85/2023 धारा 380/411 भादवि थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

**अभियुक्त विशाल उर्फ खटाई उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0स0 133/2023 धारा 332/504 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 85/2023 धारा 380/411 भादवि थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी के नाम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री बीनू सिंह थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री रामचरन सिंह थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर
3. उप0निरी0 श्री विनीत चौधरी थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर
5. का0 2226 अमित कुमार थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर
6. का0 2201 विपन कुमार थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर
7. का0 2036 हर्ष तोमर थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर



दिनांक: 16-09-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा महिलाओ पर अश्लील फब्तिया कसने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराधो की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द पुलिस के निकट पर्यवेक्षण मे एण्टीरोमियों टीम थाना देवबन्द द्वारा 01 अभियुक्त **आमिर पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला मीरसराय कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को शास्त्री चौक कस्बा देवबन्द के पास से गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त अभियुक्त आने जाने वाली महिलाओ पर अश्लील इशारे कर अश्लील फब्तियाँ कस रहा था । अभियुक्त आमिर उपरोक्त के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 493/23 धारा 294 भा.द.वि पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आमिर पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला मीरसराय कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. म0उ0नि0 मनवीरी सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।
2. म0का0 310 राखी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।
3. म0का0 276 अंशिका चौहान थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।



दिनांक: 16-09-2023

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 मोबाईल चोर को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 16/09/2023 को वादी मुकदमा परवेज पुत्र श्री कालू निवासी कावली रोड़ गांधी ग्राम व नई बस्ती पार्क रोड़ कोतवाली देहरादून उत्तराखण्ड ने थाने पर आकर लिखित सूचना दी कि वह अपने बालकर की तिमारदारी में डाक्टर रस्तौगी रेलवे रोड़ देवबन्द जनपद सहारनपुर में लगा हुआ था। उसके पास एक मोबाईल था जो समुन पुत्र फरागत निवासी ग्राम नूनाबढ़ी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ने चोरी कर लिया। जिसके सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 492/23 धारा 379/411 भादवि बनाम समुन पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **समुन पुत्र फरागत निवासी ग्राम नूनाबढ़ी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को मय चोरी गये मोबाईल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

**अभियुक्त समुन का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 178/2017 धारा 174A IPC चालानी थाना बडगांव जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 159/2021 धारा 379 भादवि चालानी थाना बडगांव जिला सहारनपुर।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. समुन पुत्र फरागत निवासी ग्राम नूनाबढ़ी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 बिजेन्द्र धामा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. का0 1610 सन्नी कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।





दिनांक: 16-09-2023

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा गौकशी करने वाले 10-10 हजार रुपये के 02 इनामी**  
**वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी देवबन्द श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में देवबन्द पुलिस द्वारा थाना देवबन्द पर पंजीकृत मु0अ0सं0-465/23 धारा 307 भादवि, 3/5/8 गौवध अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/25/27 आयुध अधि0 से सम्बन्धित फरार अभियुक्तगण **1. सलीम अहमद पुत्र नफीस अहमद 2. सरफराज उर्फ मुन्ना उर्फ बडा पुत्र अनीस निवासीगण ग्राम सांपला खत्री थाना देवबन्द सहारनपुर** जिन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा 10,000/- 10,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था जिनको आज दिनांक 16.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा सांपला अड्डे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को समय से न्यायालय में पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गौकशी करते हैं तथा गौमांस का व्यापार करते हैं और जो लाभ होता है उसे आपस में बराबर बांट लेते हैं। दिनांक 3.9.23 की रात में जब हम लोग अहसान उर्फ पोपन के साथ मिलकर गौकशी कर रहे थे तो पुलिस ने हम लोगों को गौकशी करते हुये पकड़ने की कोशिश की थी तो हम पुलिस पर तमंचो व छुरो से हमला करके भाग गये थे तथा अहसान उर्फ पोपन को पुलिस ने पकड़ लिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

1. सलीम अहमद पुत्र नफीस अहमद निवासी सांपला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. सरफराज उर्फ मुन्ना उर्फ बडा पुत्र अनीस निवासी ग्राम सांपला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

**सलीम अहमद का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 425/16 धारा 3/5/8/ गौवध अधिनियम
2. मु0अ0सं0 465/23 धारा 307 भादवि, 3/5/8 गौवध अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/25/27 आयुध अधि0
3. मु0अ0सं0 1226/18 धारा 138 भारतीय विद्युत अधिनियम

**सरफराज उर्फ मुन्ना उर्फ बडा का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 465/23 धारा 307 भादवि, 3/5/8 गौवध अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/25/27 आयुध अधि0

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- व0उ0नि0 अजय कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।  
उ0नि0 आरिफ अली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।  
है0का0 254 भूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।  
है0का0 928 हरिओम थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।  
है0का0 449 लोकेश कुमनार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।



दिनांक:- 16.09.2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

### थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए चार चोरो को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 15.09.2023 को वादी द्वारा थाना सरसावा पर आकर लिखित सूचना दी कि दिनांक 14.9.23 की रात्रि को अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर में घुस कर सोने की तीन अंगूठी, एक जोड़ी पायल व करीब 4000/- रु० चोरी कर लिये। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 277/2023, धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में उ०नि० श्री विकास सिंघल थाना सरसावा द्वारा मय टीम के आज दिनांक 16.09.2023 को 24 घण्टे के अन्दर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1.सौरभ पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम नाहरपुर माजरी थाना जठलाना, यमुनानगर, हरियाणा, 2.संजू पुत्र पीताम्बर निवासी उपरोक्त, 3.भवंर सिंह उर्फ लाडी पुत्र सतपाल निवासी ग्राम ढिक्का टपरी थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर, 4.सुमित पुत्र कुलदीप निवासी उपरोक्त को मय चोरी किये गये पीली धातु की तीन अंगूठी, एक जोड़ी सफेद धातु की पायल के भिखनपुर रेलवे अण्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से मा०न्या० के समक्ष पेश किया जायेगा।

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि अभियुक्त सुमित मुकदमा वादी के परिवार में से है, जिसका पहले से ही उस घर में आना जाना था, जिसे घर के सभी सामान के बारे में पहले से जानकारी थी, हम चारों आपस में दोस्त हैं तथा नशा करने के आदी हैं नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए ही हम चारों ने मिलकर योजना बनाकर चोरी की थी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सौरभ पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम नाहरपुर माजरी थाना जठलाना, यमुनानगर, हरियाणा
2. संजू पुत्र पीताम्बर निवासी ग्राम नाहरपुर माजरी थाना जठलाना, यमुनानगर, हरियाणा
3. भवंर सिंह उर्फ लाडी पुत्र सतपाल निवासी ग्राम ढिक्का टपरी थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर
4. सुमित पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम ढिक्का टपरी थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण:-

- 03 अंगूठी पीली धातु
- 01 पायल जोड़ी सफेद धातु

### अभियुक्त भवंर सिंह उर्फ लाडी का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं०-182/22 धारा 379,411 भादवि थाना सरसावा स०पुर

2. मु0अ0सं0-277/23 धारा 380,411 भादवि थाना सरसावा स0पुर

**अभियुक्त सुमित का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0-182/22 धारा 379,411 भादवि थाना सरसावा स0पुर

2. मु0अ0सं0-277/23 धारा 380,411 भादवि थाना सरसावा स0पुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री विकास सिंघल, थाना सरसावा जनपद – सहारनपुर

2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार, थाना सरसावा जनपद – सहारनपुर

3. हे0कां0 951 सुधीर उज्जवल, थाना सरसावा जनपद – सहारनपुर

4. हे0कां0 952 अमित मलिक, थाना सरसावा जनपद – सहारनपुर

5. कां0 1831 सरल प्रताप सिंह, थाना सरसावा जनपद – सहारनपुर ।